Date- 17/1/2023
राजस्थान पत्रिका - Page No - 4

एक अगस्त से लागू होंगे गुणवत्ता मानक | पहली बार बासमती चावल के लिए मानक तय

अब बासमती चावल में मिलावट पर लगेगी लगाम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कोटा. बासमती चावल में मिलावट पर रोक लगाने व इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पहली बार बासमती चावल के लिए स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी पैरामीटर जारी किए हैं, जो एक अगस्त से लागू हो जाएंगे।

बूंदी व बारां में धान बहुतायत में होता है। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और झालावाड़ जिले में भी धान का उत्पादन होता है। हाड़ौती में पानी की उपलब्धता व अनुकूल मौसम के चलते पिछले दो दशकों में तेजी से धान की उपज बढ़ी है। बूंदी और बारां से कई व्यापारिक फर्म चावल का निर्यात भी करती हैं। ऐसे में धान के मानक तय करने के बाद सही पहचान व दाम मिलने से न केवल हाड़ौती के चावल को दुनिया में पहचान मिलेगी, बल्कि किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ भी होगा।

प्रीमियम चावल में मिलावट का खेल

बासमती के प्रीमियम क्वालिटी के चावल में मिलावट का खेल चल रहा है। इसके चलते बासमती के साथ दूसरे चावल की किस्मों की मिलावट की जाती है। इस कारण घरेलू व निर्यात बाजारों में असली बासमती (स्टैंडर्डाइज्ड) चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने यह कदम उठाया है।

प्राकृतिक सुगंध से होगी पहचान

एफएसएसएआई की ओर से तय नए मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध की विशेषता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इससे अलावा चावल आर्टिफिशियल कलर, पॉलिशिंग एजेंट और आर्टिफिशियल सुगंधों से भी मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा चावल में अन्य हल्के किस्म के चावल की मिलावट भी नहीं की जा सकेगी।

विश्व में दो तिहाई आपूर्ति करता है भारत

बासमती चावल अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण न केवल घरेलू और विश्व स्तर पर सबसे ज यादा बिकने वाला चावल है। भारत पूरी दुनिया का करीब दो तिहाई बासमती चावल उपलब्ध करवाता है। बासमती चावल उगाने के लिए विशेष कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ ही धान की कटाई, प्रसंस्करण और इसे लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करने का विशेष महत्व है।

इन किस्मों के पैरामीटर तय

प्राधिकरण की ओर से ब्राउस बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उसना भूरा बासमती और मिल्ड उसना बासमती चावल के पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। चावल की इन किस्मों की पैरामीटर के आधार पर जांच की जाएगी।

हम फिलहाल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सभी मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से बासमती चावल के लिए तय किए गए मानकों के अनुसार भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-चन्द्रवीर सिंह जादौन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोटा

मु० क० अ०
भा० (मानक)